



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)  
Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)  
ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Fort, Mumbai-400001  
फोन/Phone: 022- 22660502

12 अक्टूबर 2021

**सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा**

निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

क्र.सं	कंपनी का नाम	कार्यालयीन पता	पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.	प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक	निरस्तीकरण आदेश की तारीख
1	मेसर्स प्रमानन्द कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड	भूतल मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस 18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 भारत	बी-14.03328	5 जनवरी 2016	6 जुलाई 2021
2	मेसर्स अमनदीप ट्रांसपोर्ट एंड लीजिंग इंडिया लिमिटेड	कोठी सं. 1, गौशाला रोड, सुनाम, जिला. संगरूर, पंजाब - 148028	06.00105	2 मई 1998	19 जुलाई 2021
3	मेसर्स सीएलएसए इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	कार्यालय संख्या 702, दलामल हाउस, 206, जमनालाल बजाज मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400021	एन-13.02366	10 अक्टूबर 2019	19 जुलाई 2021
4	मेसर्स सुभद्रा इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	प्लॉट # 8-3-214/21, श्रीनिवास नगर कॉलोनी (पश्चिम), अमीरपेट, हैदराबाद, तेलंगाना - 500 038	बी-09.00264	14 अगस्त 2000	23 जुलाई 2021
5	मेसर्स हेलिओस फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड	बी1-604, मैराथन नेक्स्ट जेन कंपाउंड, ऑफ जी.के. मार्ग, लोअर परेल (प) मुंबई-400013	एन-13.02239	16 मई 2018	5 अगस्त 2021
6	मेसर्स अल्टिको कैपिटल इंडिया लिमिटेड	21, दूसरी मंजिल, 5 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051	एन-13.01777	4 जनवरी 2018	13 अगस्त 2021
7	मेसर्स जीपीएल फाइनेंस लिमिटेड	113/216-बी, स्वरूप नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208002	बी-12.00053	27 फरवरी 1998	24 सितंबर 2021

अतः उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक